न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0–133 / 2024
व्युत्पन्न कुमारखंड (भतनी ओ0पी0) थाना कांड सं0–314 / 2023

उपस्थित– सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः– 26 / 05 / 2026)

–1–

FORM A

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा

S.Tr. Case No.- 133 of 2024
C.I.S.No.-133/2024

व्युत्पन्न कुमारखंड (भतनी ओ0पी0) थाना कांड सं0–314 / 2023

उपस्थित– सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

(निर्णय की तिथिः– 26 / 05 / 2026)

FORM A

सूचिका	राज्य द्वारा सूचक – ममता देवी, पति– हरिशचन्द्र सरदार साकिन–गाढ़ा रामपुर, थाना–शंकरपुर, जिला–मधेपुरा।
अभियोजन की ओर से	श्री शशिधर प्रसाद सिंह एवं गिरीश्चंद्र गिरीन्द्र, विद्वान अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त	**बनाम्** 1. जीना देवी 2. टीरन सरदार 3. भीम सरदार सभी साकिन–भोकराहा, थाना–कुमारखंड (भतनी ओ0पी0), जिला–मधेपुरा
बचाव पक्ष की ओर से	श्री राजेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता

Satish Kumar
26.05.26

FORM B

अपराध की तिथि–	दिनांक– 31 / 07 / 2023
प्राथमिकी की तिथि–	दिनांक– 01 / 08 / 2023
अन्तिम प्रपत्र की तिथि–	दिनांक– 22 / 10 / 2023, 28 / 05 / 2024
अपराध का संज्ञान की तिथि–	दिनांक– 01 / 02 / 24 एवं 26 / 07 / 24
आरोप गठन की तिथि–	दिनांक– 26 / 04 / 2024, 08 / 10 / 2024
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	दिनांक– 26 / 06 / 2025
निर्णय पर प्रस्तुत होने की तिथि–	दिनांक– 21 / 05 / 2026
निर्णय की तिथि–	दिनांक– 26 / 05 / 2026
सजा की तिथि (यदि कोई हो)	----------

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0–133/2024
व्युत्पन्न कुमारखंड (भतनी ओ0पी0) थाना कांड सं0–314/2023

उपस्थित– सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः– 26/05/2026)

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोड़ने की तिथि	आरोपित धारा	प्रकृति दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	**सजा**
01.	जीना देवी	....	....	धारा–304(B)/34 भा0द0वि0	दोषमुक्ति	....
02.	टीरन सरदार	....	....	धारा–304(B)/34 भा0द0वि0	दोषमुक्ति	....
03.	भीम सरदार	....	....	धारा–304(B)/34 भा0द0वि0	दोषमुक्ति	....

अभियोजन साक्ष्य

क्रम संख्या	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
PW-1	ममता देवी	सूचिका
PW-2	अशोक कुमार	अशासकीय
PW-3	सत्यप्रकाश	अनुसंधानकर्त्ता
PW-4	हरिचंद्र सरदार	अशासकीय

Satish Kumar
26.05.26

बचाव साक्ष्य

क्रम संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
	बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।	

अभियोजन पक्ष/बचाव पक्ष/न्यायालय द्वारा कराये गये प्रदर्श का विवरण

अभियोजन

Sr. No,	Exhibit Number	Description
01.	Exhibit-P-1/P.W.-3	आरोप पत्र
02.	Exhibit-P-2/P.W.-3	पूरक आरोप पत्र

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0—133 / 2024
व्युत्पन्न कुमारखंड (भतनी ओ0पी0) थाना कांड सं0—314 / 2023

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः— 26 / 05 / 2026)

निर्णय

01. प्रस्तुत सत्र वाद कुमारखंड (भतनी ओ0 पी0) थाना कांड सं0—314 / 23 से व्युत्पन्न हुआ है जो प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों 1. जीना देवी 2. टीरन सरदार 3. भीम सरदार 4. अर्जुन सरदार एवं 5. विशुनदेव सरदार के विरूद्व धारा—304(B) / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है।

02. **अभियोजन वादः—** अभियोजन वाद कांड की सूचिका ममता देवी के लिखित आवेदन पर आधारित है जिसमें सूचिका ने अभियोग लगाया है कि उसने अपनी पुत्री प्रीति देवी की शादी टीरन सरदार के पुत्र भीम सरदार के साथ घटना से करीब साढ़े तीन माह पूर्व किया था जबकि उक्त भीम सरदार का पूर्व से किसी महिला से संबंध था जिसके कारण कोई न कोई बात को लेकर वह सूचिका की पुत्री को प्रताड़ित करते रहता था तथा उसके परिवार वालो के द्वारा सूचिका की लड़की को अपने गाँव जाकर पिता से रूपये मांगकर लाने के लिए कहते रहता था। सूचिका का कथन है कि वह एक गरीब परिवार की है तथा उसके पति पंजाब में मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं इस वजह से वह अपनी बेटी के ससुराल वालो द्वारा मांगी गई रकम पूरा नहीं कर सकती थी। आगे सूचिका का अपने लिखित आवेदन में कथन है कि इसी दहेज के रूपये को लेकर पहले गाली गलौज हुई उसके बाद मारपीट कर मेरी बेटी का हाथ पैर बांध दिया एवं 1. जीना देवी 2. टीरन सरदार 3. भीम सरदार 4. अर्जुन सरदार एवं 5. विशुनदेव सरदार ने मेरी बेटी प्रीति देवी को गला के उपर एवं नीचे बांस का फट्टा देकर एवं चाँपकर हत्या कर दिया और हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए दोपट्टा गला में बांधकर घर में लटका दिया ताकि लोगो एवं मैके वालों को पता चले कि लड़की ने आत्महत्या किया है।

Satish Kumar 26.05.26

03. अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्त्ता द्वारा शेष अभियुक्तों के विरूद्व पूरक अनुसंधान जारी रखते हुए अभियुक्त 1. जीना देवी एवं 2. टीरन सरदार के विरूद्व घटना सत्य पाते हुए धारा—304(B) / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र सं0—54 / 23 दिनांक 22.10.2023 समर्पित किया गया। पुनः दिनांक 28.05.2024 को प्राथमिकी अभियुक्त भीम सरदार के विरूद्व उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया तथा शेष अभियुक्तों के विरूद्व पूरक अनुसंधान जारी रखा गया।

04. तत्पश्चात् दिनांक 01.02.2024 को अभियुक्त जीना देवी एवं टीरन सरदार के विरूद्व प्रथमदृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए धारा—304(B) / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया तथा मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण अभिलेख विद्वान सत्र न्यायाधीश मधेपुरा के न्यायालय में दौरा सुपुर्द किया गया। दौरा सुपुर्दगी के उपरांत उक्त दोनो अभियुक्तों का विचारण सत्र वाद सं0—133 / 2024 में प्रारंभ हुआ।

05. दिनांक 26.07.2024 को अभियुक्त भीम सरदार के विरूद्व धारा—304(B) / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान लिया गया तथा दौरा सुपुर्दगी के पश्चात् सत्र वाद सं0—279 / 24 में इसका विचारण प्रारंभ हुआ।

06. दिनांक 26.04.2024 को अभियुक्त जीना देवी एवं टीरन सरदार के विरूद्व धारा— 304(B) / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप गठन किया गया जिसे मानने से अभियुक्तों ने इनका किया तथा विचारण का सामना करने का दावा किया। (सत्र वाद सं0—133 / 24)

07. इसी तरह सत्र वाद सं0—279 / 24 में अभियुक्त भीम सरदार के विरूद्व धारा— 304(B) / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप गठन किया गया। इस अभियुक्त ने भी आरोप को मानने से इनकार किया तथा विचारण का सामना करने का दावा किया।

Satish Kumar
26.05.26

08. दिनांक 21.03.2025 के आदेशानुसार सत्र वाद सं0—279 / 24 का समामेलन सत्र वाद सं0—133 / 24 में कर दिया गया और सभी तीन अभियुक्तों 1. जीना देवी 2. टीरन सरदार तथा 3. भीम सरदार का विचारण एक साथ सत्र वाद सं0—133 / 24 में प्रारंभ हुआ।

09. आरोप गठन व समामेलन के पश्चात् अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया तथा अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत धारा—313 दण्ड प्र0 सं0— के अंतर्गत अभियुक्तों का बयान दर्ज किया गया जिसमें इन्होने स्वंय को निर्दोष बताया।

10. तदोपरांत उभय पक्षों का बहस सुनकर वाद को निर्णय हेतु नियत किया गया।

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0–133/2024
व्युत्पन्न कुमारखंड (भतनी ओ0पी0) थाना कांड सं0–314/2023

उपस्थित– सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः– 26/05/2026)

विनिश्चय, कारण व आधार

11. **विनिर्धारण के बिंदु :–** प्रस्तुत सत्र वाद में अभिनिर्धारण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या अभियोजन अपने वाद को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल हुआ है, अर्थात् क्या विचारण का सामना कर रहे अभियुक्तों के विरूद्ध धारा–304(B)/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों को अभियोजन साबित कर पाया है?

12. उक्त प्रश्न के विनिर्धारण हेतु धारा– 304(B)/34 भा0द0वि0 तथा धारा–34 भा0द0वि0 के प्रावधानों का अवलोकन आवश्यक है तथा उसके पश्चात् अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परिशीलन व विश्लेषण कर न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुँचना होगा कि क्या अभियोजन अपने वाद को सफलतापूर्वक स्थापित कर पाया है अथवा नहीं।

13. **धारा– 304(B) भा.द.वि.** :– यह धारा दहेज मृत्यु कारित करने हेतु दण्ड का प्रावधान करती है। साथ ही यह दहेज मृत्यु को परिभाषित भी करती है। इसके अनुसार

(1) जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है, या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ कूरता की थी या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा।

(1) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा।

14. **धारा–34 भा.द.वि.** :– धारा 34 भा0द0वि0 प्रावधानित करती है कि जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0—133 / 2024
व्युत्पन्न कुमारखंड (भतनी ओ0पी0) थाना कांड सं0—314 / 2023

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः— 26 / 05 / 2026)

15. इस प्रकार अभियोजन को प्रस्तुत वाद में निम्न चीजों को साबित करना आवश्यक है—

(1) मृत्तक की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई हो।

(2) मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति या पति के किसी नातेदार द्वारा दहेज की मांग के संबंध में उसके साथ कूरता की थी या उसे तंग किया था।

(1) सभी अभियुक्तों ने अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में दहेज मृत्यु कारित करने का कृत्य किया था।

16. अभियोजन द्वारा इस वाद में अपने मामले के समर्थन में कुल चार गवाहों की गवाही कराई गई है जिनमें सूचक तथा अनुसंधानकर्त्ता दोनो सम्मिलित हैं।

अभियोजन साक्ष्यः— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों का अभिसाक्ष्य इस प्रकार है——

17. **<u>अभियोजन साक्षी सं0—01 ममता देवी</u>**

अभियोजन साक्षी सं0—01 ममता देवी ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा—01 मे कहा है कि घटना लगभग दो पूर्व दोपहर की घटना है। हमको भखराहा से खबर आया। मै भखराहा गई। वहाँ जाकर मैने अपनी बेटी प्रीती का लाश देखा। मुझे लोगो द्वारा बताया गया कि पति, पत्नी और परिवार मे लडाई झगडा हुआ था और उसी मारपीट मे मेरी पुत्री प्रीती की मृत्यु हो गई। मेरी पुत्री के शव को पोस्टामार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया था। यह केस मैने ही किया है। आवेदन थाना मे दिलवाया। मैने केस भीमा एवं अन्य पर किया है अन्य लोगो का नाम याद नहीं है। मृत्तका जो मेरी बेटी थी के ससुराल वालों को पहचानती हूँ। पारा—02 में कहती हैं कि आज न्यायालय मे उपस्थित अभियुक्त भीम सरदार को पहचानती हूँ। यह मेरा रिश्ते मे दामाद लगता है।

Satish Kumar
26.05.26

बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रति—परीक्षण के दौरान पारा—03 में साक्षी का कथन है कि मेरी बेटी अपने ससुराल मे बढिया ढंग से रहती थी। ससुराल मे भी मेरी बेटी को अच्छे ढंग से रखा जाता था। पारा—04 में कहा है कि यह केस मैने लोगो के कहने पर एवं बेटी के मरने के दुःख एवं आवेश मे आकर कर दिया। घटना को मैने अपनी ऑखो से नहीं देखा। केवल लोगो के कथनानुसार मुझे उक्त बातो की जानकारी है। पारा—05 में कहा है कि मेरी बेटी का स्वभाव था कि छोटे—छोटे बातो पर वह बिगड जाया करती थी। मुझे बाद मे पता चला कि उनके ससुराल के लोगो ने मारपीट नहीं किया था वह स्वंय मर गई थी। पारा—06 में कहा है कि इस घटना मे मेरे दामाद भीम सरदार का कोई हाथ नहीं है।

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0–133/2024
व्युत्पन्न कुमारखंड (भतनी ओ0पी0) थाना कांड सं0–314/2023

उपस्थित– सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः– 26/05/2026)

18. अभियोजन साक्षी सं0–02 अशोक कुमार

अभियोजन साक्षी सं0–02 अशोक कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा–01 मे कहा है कि मेरी भगनी की मृत्यु की घटना लगभग दो वर्ष पूर्व दोपहर की है। लगभग 12 बजे दिन की घटना है। मै काम कर रहा था। मेरे घर से फोन आया था। मै अपनी भगनी प्रीती कुमारी को देखने त्रिवेणीगंज गया। मै जब वहाँ गया तो प्रीति कुमारी मृत्त अवस्था मे पडी थी। वहां पर उपस्थित पुलिस द्वारा मुझसे मेरा नाम–पता एवं रिश्ता पूछा गया तथा एक कागज पर मेरा हस्ताक्षर भी करवाया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं हुई की प्रीति कुमारी की मृत्यु किसके द्वारा कारित हुआ। पारा–02 में कहा है कि आज न्यायालय मे उपस्थित अभियुक्त भीम सरदार को मै नही पहचानता हूँ।

बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रति–परीक्षण के दौरान पारा–03 में साक्षी का कथन है कि पुलिस ने जिस कागज पर मेरा हस्ताक्षर लिया वो मुझे पढकर नहीं सुनाया था। घटना मैने अपनी ऑखो से नहीं देखा।

19. अभियोजन साक्षी सं0–03 सत्यप्रकाश

अभियोजन साक्षी सं0–03 सत्यप्रकाश ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा–01 मे कहा है कि मै मई, 2024 मे भतनी (ओ.पी.) थाना मे पु.अ.नि.–सह–थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित था। मै भतनी (ओ.पी.) थाना कांड सं.–314/2023 का पूरक अनुसंधानकर्त्ता हूँ। पारा–02 में कहा है कि इस कांड के अनुसंधान का भार पु.अ.नि. अरविंद कुमार मिश्रा से दिनांक 24.01.2024 को ग्रहण किया था। अनुसंधान का भार ग्रहण कर मैने सर्वप्रथम प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी का अवलोनक किया। अवलोकनोउपरांत पाया कि प्राथमिकी अभियुक्त जीना देवी, तीरन सरदार, भीम सरदार, अर्जुन सरदार, विष्णुदेव सरदार सभी के विरूद्व दहेज हत्या का प्राथमिकी दर्ज किया गया है। वादिनी की पुत्री प्रीति देवी की हत्या करने के अपराध मे उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज की गई है। पारा–03 में कहा है कि अबतक के अनुसंधान मे वादिनी एवं साक्षियो के बयान, घटनास्थल का निरीक्षण, वरीय पदाधिकारी का पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं पुलिस अधि. महोदय का प्रतिवेदन–02 एवं 03 से यह कांड प्राथमिकी अभियुक्त जीना देवी, तीरण सरदार एवं भीम सरदार के विरूद्व धारा–304(बी)/34 भा.द.वि. के अंतर्गत सत्य पाया गया। अन्य दो प्राथमिकी अभियुक्त अर्जुन सरदार एवं विष्णुदेव सरदार के विरूद्व जॉच कर अंतिम निर्णय श्रेयष्कर बताया गया। पारा–04 में कहा है कि कांड के पूर्व के अनुसंधानकर्त्ता द्वारा प्राथमिकी अभियुक्त जीना देवी एवं

Satish Kumar
26.05.26

stablish
T OF Sr
tiona
Lis

तीरण सरदार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत मे भेजा गया तथा इनके विरूद्व आरोप—पत्र सं. —54 / 2023 दिनांक—22.10.2023 अंतर्गत धारा—304(बी) / 34 भा.द.वि. समर्पित किया गया। सम्पूर्ण आरोप—पत्र सं.—54 / 2023 पर मेरा थानाप्रभारी के रूप मे हस्ताक्षर है तथा तत्कालीन अनुसंधानकर्त्ता पु.अ.नि. अरविंद कुमार मिश्रा का हस्ताक्षर है, जिसे पहचानता हूँ। इसे प्रदर्श—P-01/P.W-03 अंकित किया जाता है। पारा—05 में कहा है कि सत्य पाया गया अभियुक्त भीम सरदार के घर बार बार छापामारी किया गया परंतु गिरफतारी के डर से अपने घर से फरार पाया गया। इनके गिरफतारी हेतु गुप्तचर तैनात किया गया। इस कांड मे मृत्तका प्रीती देवी का भेसरा रिपोर्ट रिजर्व था, जिसको विधि विज्ञान प्रयोगशाला, नाथनगर, भागलपुर जॉच हेतु भतनी ओ.पी. के कार्यालय ज्ञापांक—11 / 24 दिनांक 23.01.2024 के माध्यम से भेजा गया जो आरोप—पत्र समर्पित करने तक अप्राप्त है। पारा—06 में कहा है कि छापामारी के कम मे पता चला कि कांड के प्राथमिकी अभियुक्त भीम सरदार ने संबंधित माननीय न्यायालय मे आत्मसमर्पण किये हैं। वैधानिक अवधि पूर्ण होने के कारण प्राथमिकी अभियुक्त भीम सरदार के विरूद्व धारा—304(बी) / 34 भा.द.वि. के अंतर्गत पूरक आरोप—पत्र सं.—13 / 2024 दिनांक—28.05.2024 समर्पित किया गया। सम्पूर्ण पूरक आरोप—पत्र सं.—13 / 2024 पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे पहचानता हूँ। इसे प्रदर्श—P-02/P.W-03 अंकित किया जाता है। पारा—07 में कहा है कि आज न्यायालय मे उपस्थित अभियुक्त भीम सरदार को पहचानता हूँ तथा शेष अभियुक्तो को देखकर पहचान लूंगा।

बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रति—परीक्षण के दौरान पारा—08 में साक्षी का कथन है कि अनुसंधान के कम मे मैरे द्वारा किसी भी गवाह का गवाही नहीं लिया गया। मैने केवल अभियुक्त भीम सरदार के विरूद्व पूरक आरोप—पत्र समर्पित किया है। आरोपपत्रित अभियुक्त के विरूद्व मैने किसी भी साक्षी का बयान कांड दैनिकी मे दर्ज नहीं किया है। पारा—09 में कहा है कि मूल प्राथमिकी पर मेरा हस्ताक्षर नहीं है। पूर्व अनुसंधानकर्ता द्वारा जो आरोप—पत्र समर्पित किया गया उसपर केवल मेरा हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा किसी आरोपपत्रित अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभियुक्त भीम सरदार को आज न्यायालय मे पहली बार देखा है। इसी प्रकार अन्य अभियुक्तो को भी नहीं देखे है। पारा—10 में कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि मैने गलत आरोप—पत्र समर्पित किया हैं तथा अभियुक्त को इस केस मे झूठा फंसा दिया है।

Satish Kumar
26.05.26

20. अभियोजन साक्षी सं0—04 हरिचन्द्र सरदार

अभियोजन साक्षी सं0—04 हरिचन्द्र सरदार ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा—01 मे कहा है कि घटना दो वर्ष पूर्व की है। समय करीब 09:30 बजे रात्री की घटना है। मेरी पुत्री प्रीति

कुमारी की शादी भीम सरदार से दो साल पहले हुई थी। मेरी पुत्री की मृत्यु हो गई है। मै बाहर राज्य में काम करता हूँ। पारा–02 में साक्षी का कथन है कि आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त भीम सरदार को पहचानता हूँ तथा शेष अभियुक्तो को देखकर पहचान लूंगा।

बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रति–परीक्षण के दौरान पारा–03 में साक्षी का कथन है कि मेरी पुत्री प्रीति कुमारी को ससुराल वाले सास, ससुर एवं पति अच्छे ढंग से रखते थे। मेरी पुत्री ने कभी भी अपने ससुराल वालो के विरूद्व शिकायत नहीं किया था। भीम सरदार से मुझे कोई शिकायत नहीं है। आज न्यायलय मे गवाही अपनी स्वेच्छा से दिया है।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परिशीलन एवं विश्लेषण

21. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कुल चार साक्षियों में एक अभियोजन साक्षी सं0–03 सत्यप्रकाश कांड का अनुसंधानकर्त्ता है जबकि शेष तीन साक्षी तथ्य के साक्षी हैं।

अभियोजन साक्षी सं0–01 ममता देवी स्वंय सूचिका है तथा मृत्तक की माँ है। इसने अपने मुख्य परीक्षण के पारा–01 में कहा है कि घटना लगभग दो पूर्व है। हमको भखराहा से खबर आया। मै भखराहा गई। वहाँ जाकर मैने अपनी बेटी प्रीती का लाश देखा। मुझे लोगो द्वारा बताया गया कि पति, पत्नी और परिवार मे लडाई झगडा हुआ था और उसी मारपीट के कम मे मेरी पुत्री प्रीती की मृत्यु हो गई। मेरी पुत्री के शव को पोस्टामार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया था। यह केस मैने ही किया है। आवेदन थाना मे दिलवाया। मैने केस भीम एवं अन्य पर किया है, अन्य लोगो का नाम याद नहीं है।

Satish Kumar
26.05.26

बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में सूचिका ने पारा–03 में कहा है कि मेरी बेटी अपने ससुराल मे बढिया ढंग से रहती थी। ससुराल मे भी मेरी बेटी को अच्छे ढंग से रखा जाता था। पारा–04 में साक्षी का कथन है कि यह केस मैने लोगो के कहने पर एवं बेटी के मरने के दुःख एवं द्वेष मे आकर कर दिया। घटना को मैने अपनी आँखो से नहीं देखा। केवल लोगो के कथनानुसार मुझे उक्त बातो की जानकारी है। पारा–05 में कहा है कि मेरी बेटी का स्वभाव था कि छोटे–छोटे बातो पर वह बिगड जाया करती थी। मुझे बाद मे पता चला कि उनके ससुराल के लोगो ने मारपीट नहीं किया था, वह स्वंय मर गई थी।

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0—133 / 2024

व्युत्पन्न कुमारखंड (भतनी ओ0पी0) थाना कांड सं0—314 / 2023

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः— 26 / 05 / 2026)

अभियोजन साक्षी सं0—02 अशोक कुमार है जिसने अपने मुख्य परीक्षण के पारा—01 में कहा है कि मेरी भगनी की मृत्यु की घटना लगभग दो पूर्व दोपहर की है। लगभग 12 बजे दिन की घटना है। मै काम कर रहा था। मेरे घर से फोन आया था। मै अपनी भगनी प्रीती कुमारी को देखने त्रिवेणीगंज गया। मै जब वहाँ गया तो प्रीति कुमारी मृत्त अवस्था मे पडी थी। वहाँ पर उपस्थित पुलिस द्वारा मुझसे मेरा नाम—पता एवं रिश्ता पूछा गया तथा एक कागज पर मेरा हस्ताक्षर भी करवाया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं हुई की प्रीति कुमारी की मृत्यु किसके द्वारा कारित हुआ।

बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रति—परीक्षण के पारा—03 में साक्षी का कथन है कि पुलिस ने जिस कागज पर मेरा हस्ताक्षर लिया वह मुझे पढकर नहीं सुनाया था। घटना मैने अपनी आँखो से नहीं देखा।

अभियोजन साक्षी सं0—04 हरश्चन्द्र सरदार ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा—01 में कहा है कि घटना दो वर्ष पूर्व की है। समय करीब 09:30 बजे रात्री की घटना है। मेरी पुत्री प्रीति कुमारी की शादी भीम सरदार से दो साल पहले हुई थी। मेरी पुत्री की मृत्यु हो गई है। मै बाहर राज्य में काम करता हूँ।

Satish Kumar
26.05.26

अपने प्रति—परीक्षण के पारा—03 में साक्षी ने कहा है कि मेरी पुत्री प्रीति कुमारी को ससुराल वाले सास, ससुर एवं पति अच्छे ढंग से रखते थे। मेरी पुत्री ने कभी भी अपने ससुराल वालो के विरूद्व शिकायत नहीं किया था।

इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्य के साक्षियों में से किसी ने भी (जिसमें मृत्तक के माता, पिता भी शामिल हैं) घटना का समर्थन नहीं किया है बल्कि प्रतिपरीक्षण में विचारण का सामना कर रहे अभियुक्तों का बचाव ही किया है। मृत्यु से पूर्व दहेज मांगे जाने या दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित अथवा तंग किये जाने की बात भी किसी साक्षी के द्वारा नहीं कही गई है। अनुसंधानकर्त्ता द्वारा भी ऐसा कोई प्रत्यक्ष, परोक्ष अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर अभियुक्तों की दोषसिद्धि की जा सके। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है।

D.J. Estab
COURT
d Ad
Cau

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण सं0—133 / 2024
व्युत्पन्न कुमारखंड (भतनी ओ0पी0) थाना कांड सं0—314 / 2023

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः— 26 / 05 / 2026)

—11—

आदेश

22. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के परिशीलन एवं विश्लेषण तथा उभय पक्षों की ओर से की गई बहस को सुनने के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन अपने वाद को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है। अतः विचारण का सामना कर रहे अभियुक्तों 1. जीना देवी 2. टीरन सरदार तथा 3. भीम सरदार को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में इनके विरूद्व धारा— 304(B) / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। जमानत पर के दो अभियुक्तों 1. जीना देवी एवं 2. टीरन सरदार की हाजिरी दी गई है तथा काराधीन अभियुक्त भीम सरदार को कारा से प्रस्तुत किया गया। निर्णय इनके समक्ष खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया। अभियुक्त 1. जीना देवी एवं 2. टीरन सरदार चूँकि पूर्व से जमानत पर हैं अतः इनके जमानतदारों को जमानत के सभी दायित्वों से मुक्त किया जाता है। काराधीन अभियुक्त भीम सरदार की रिहाई हेतु कार्यालय अविलंब मुक्ति आदेश निर्गत करें। आवश्यक अनुपालन के पश्चात् अभिलेख को अभिलेखागार में रखें।

निर्णय की प्रति राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJGD) पर अपलोड करें।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखित, संशोधित एवं हस्ताक्षरित है तथा खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

Satish Kumar
26.5.26
(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
मधेपुरा।
दिनांक 26 / 05 / 2026

Satish Kumar
26.5.26
(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
मधेपुरा।
दिनांक 26 / 05 / 2026